भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4059

(17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्रीय योजनाएं

4059. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के गांवों की सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या अन्य केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान बारहमासी सड़कों से जुड़े और अभी तक न जुडने वाले गांवों/आबादियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या क्षेत्र के दूरस्थ, आदिवासी और नर्मदा तटीय गांवों के लिए कोई विशेष पैकेज या प्राथमिकता निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इंटरनेट/मोबाइल नेटवर्क, भारतनेट और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गांव स्तर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त पहल की है; और

(ङ) क्या सरकार का भविष्य में होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के असंबद्ध गांवों को समयबद्ध तरीके से जोड़ने के लिए कोई विशेष कार्य-योजना और बजटीय प्रावधान करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) लक्षित बसावटों में से पात्र संपर्क विहीन बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्कता प्रदान करने के लिए एक बारगी विशेष क्रियाकलाप है। बाद में, ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए

पीएमजीएसवाई-II और पीएमजीएसवाई-III तथा वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्र की सड़क संपर्क परियोजनाओं जैसे विभिन्न अन्य क्रियाकलाप/घटक शुरू किए गए थे। होशंगाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, जिसमें नर्मदापुरम (होशंगाबाद) जिला और नरसिंहपुर तथा रायसेन जिलों के हिस्से शामिल हैं, पीएमजीएसवाई के विभिन्न क्रियाकलापों/घटकों के तहत आज की तिथि तक स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	जिला	कुल स्वीकृत			पूर्ण			शेष		
		सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एलएसबी की संख्या	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एलएसबी की संख्या	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एलएसबी की संख्या
1	होशंगाबाद	234	1,021	19	232	974	17	2	3	2
2	नरसिंहपुर	182	711	13	181	678	10	1	0	3
3	रायसेन	66	326	6	66	315	5	0	0	1
कुल		**482**	**2,057**	**38**	**479**	**1,967**	**32**	**3**	**3**	**6**

इसके अलावा, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क में शामिल किए गए गांवों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	जिला	गांवों की संख्या	कवर किए गए गांवों की संख्या	कवर किए गए गांवों का प्रतिशत	अनकवर्ड गांव	4जी संतृप्ति योजना में शामिल (अनकवर्ड में से)
1	नर्मदापुरम	966	933	96.58%	33	5
2	नरसिंहपुर	1058	1042	98.48%	16	4
3	रायसेन	1486	1471	98.99%	15	3

ख) नरसिंहपुर (263), रायसेन (323) और होशंगाबाद (284) जिलों में सभी पात्र संपर्कविहीन बसावटों को पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत पहले ही बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान किया जा चुका है ।

(ग): सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पीएमजीएसवाई-IV नामक एक नया घटक शुरू किया गया है। पीएमजीएसवाई-IV ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक रणनीतिक

पहल है जिसे 2011 की जनगणना में संपर्कविहीन के रूप में पहचानी गई बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है । यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक पांच वर्ष की कार्यान्वयन समय-सीमा पर आधारित है ।

इस चरण के तहत, यह कार्यक्रम मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक, उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों में 250 या उससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को लक्षित करता है, तथा वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में 100 या उससे अधिक की निचली सीमा निर्धारित की गई है।

पीएमजीएसवाई-IV की एक प्रमुख विशेषता इसका समन्वय ढांचा है, जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) और प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) के सड़क घटकों को एकीकृत करता है। डीए-जेजीयूए के तहत उन जनजातीय बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी आबादी कम से कम 500 (जिसमें 50% अनुसूचित जनजाति सदस्य हों) या आकांक्षी जिलों में 250 (50 अनुसूचित जनजाति सदस्य) हो। इसी तरह, पीएम-एजेएवाई उन 500 या उससे अधिक आबादी वाली बसावटों को प्राथमिकता देता है, जिनमें कम से कम 40% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। यह एकीकृत मॉडल सुनिश्चित करता है कि बुनियादी ढाँचे का विकास सीधे सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक कल्याण लक्ष्यों के साथ संरेखित हो।

(घ): दूरसंचार विभाग ने अनकवर्ड गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्त पोषित '4जी सैचुरेशन योजना' शुरू की है। इसके अलावा, विभाग द्वारा मध्य प्रदेश की 22,858 ग्राम पंचायतों तक फाइबर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारतनेट परियोजना शुरू की गई थी।

(ङ): जैसा कि उत्तर के भाग (ग) में बताया गया है, सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या मानदंडों के अनुसार संपर्कविहीन के रूप में चिह्नित बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई-IV घटक शुरू किया है। मंत्रालय पीएमजीएसवाई-IV घटक के तहत चिह्नित बसावटों को स्वीकृत करने के लिए राज्य के साथ निकट समन्वय में काम कर रहा है।
